

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ.1 (1)()/स्था./सान्याएवंअवि/17/ 90412 जयपुर, दिनांक:-14-11-2017

आदेश

शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 01 (092) कार्मिक/ क-3 /2016 दिनांक 7.11.17 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार सैनी, उप निदेशक, कार्यालय, विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना राज्य सरकार द्वारा निलम्बन से बहाल किये जाने पर श्री सैनी को निदेशालय में रिक्त उपनिदेशक, योजना के पद पर लगाया जाता है। ये अपने कार्य के साथ छात्रावास शाखा का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

(डॉ० समिति शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ.1 (1)()/स्था./सान्याएवंअवि/17/ 90413-24 जयपुर, दिनांक:-14-11-2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. निदेशक (सर्त0 प्रशा0) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
6. निजी सहायक, अति. निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, भुगतान, मुख्यावास।
8. श्री अरविन्द कुमार सैनी, उप निदेशक।
9. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यावास को ई-मेल एवं वेबसाइट अपलोड हेतु।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री सैनी।
11. आदेश पत्रावली।

(संचिता, बिश्नोई)

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)